तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No.83/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
16.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जगदीश कुमार पुत्र नाथूराम जी माली, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 27.10.2021 को फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी जगदीश कुमार पुत्र नाथूराम जी माली, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमकीन का नमूना संख्या S-1517, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./781/Act/2021/871 दिनांक 26.11.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी जगदीश कुमार को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। अतः प्रतिवादी जगदीश कुमार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 27.10.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से जगदीश कुमार पुत्र नाथूराम जी माली, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) आदि विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश कुमार को उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष ... रसीद प्राप्त की तथा .....लगातार	

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:27 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.s.Act Case No.83/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, कालन्द्री की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के 8 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 100 ग्राम) में से Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 100 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदे एवं इसकी कीमत राशि रुपये 320/– (रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता जगदीश कुमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1517, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के खरीदशुदा चारों पैक्ड कंटेनरों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 27.10.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री में प्रतिवादी जगदीश कुमार पुत्र नाथूराम जी माली से खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के 100–100 ग्राम के पैक्ड कंटेनरों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य .....लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:27 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No.83/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के नमूना संख्या S-1517 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./781/Act/2021/871 दिनांक 26.11.2021 में खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश कुमार ने खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के 100–100 ग्राम के पैक्ड कंटेनरों के खरीद का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश कुमार ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है व उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Compounded Asafoetida (Vardhman Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जगदीश कुमार पुत्र नाथूराम जी माली, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी जगदीश कुमार पुत्र नाथाराम माली, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री लक्ष्मी ड्राई फ्रुट, पुरोहित कॉम्पलेक्स, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.11.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:27 IST
Reason: SelfAttested